कार्यालय मुख्य अभियन्ता
परियोजना नियोजन, अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई
उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
सातवां तल, शक्ति भवन विस्तार
लखनऊ – 226001

पत्रांक : 750/पी0पी0एम0एम0/मु0अभि0 (जा0)/अनपरा 'डी' दिनांक : 18 जुलाई, 2011

मुख्य अभियन्ता (स्तर–I)
पारीछा तापीय परियोजना
पारीछा, झांसी
/ मु0अभियन्ता (स्तर-1) अनपरा तापीय परियोजना अनपरा, सोनभद्र / मु0 अभियन्ता (स्तर-1) ओबरा तापीय परियोजना ओबरा, सोनभद्र / मु0अभियन्ता हरदुआगंज तापीय परि0 कासिमपुर, अलीगढ़ / मु0 अभि0 पनकी ताप पनकी, कान

विषय– उ0 प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 2009 के प्राविधानों के सन्दर्भ में।

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 464/पी0पी0एम0एम0/मु0अभि0 (जा0)/अनपरा 'डी' दिनांक 04.05.2011 के तारतम्य में सूचित करना है कि उक्त विषय के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2011 को बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्न निर्णय लिये गये :–

1. कि निगम की पॉचों पुरानी विद्यृत परियोजनायें जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, वह उ0प्र0 भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) विनियम 2009 से आवरित नहीं होंगी।
2. कि निगम की नयी परियोजनायें जो निर्माणाधीन हैं और जो विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरांत फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत करायी जायेगी, पर उ0प्र0 भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) विनियम 2009 लागू होगा।
3. **इन नयी परियोनाओं जिन पर उ0प्र0 भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) विनियम 2009 लागू होता है, के सम्बन्ध में यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि इन परियेजनाओं पर कृपया निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चत करने करने का कष्ट करें –**

क– इनमें कार्यरत संविदाकारों/ठेकेदारों का उपरोक्त विनियम 2009 के प्राविधानों के अन्तर्गत Prescribed Authority के अधीनस्थ स्वयं अपनी संस्था का तथा उस संस्था के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।

ख– ऐसे संविदाकारों/ठेकदारों के बिलों के भुगतान के समय एक प्रतिशत बिल की धनराशि सेस के रूप में काटी जानी अनिवार्य है और यह धनराशि उपरोक्त विनियम 2009 के प्राविधानों के अन्तर्गत Prescribed Authorityके कार्यालय में जमा की जायेगी।

ग– सेस की कटौती भुगतानकर्ता को at source करना अनवार्य है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही की अनुपालन आख्या समय–समय पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि तदानुसार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0नि0लि0 व उ0प्र0शासन को अवगत कराया जा सके।

उ0प्र0 भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) विनियम 2009 की एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

संलग्नक: यथापरोक्त।

(आर. पी. सिंह)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)

पत्रांक : /पी0पी0एम0एम0/मु0अभि0 (जा0)/अनपरा 'डी' दिनांक : जुलाई, 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:–

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उनिलि, 7वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उनिलि, 8वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मा.सं.), उनिलि, 9वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उनिलि, 9वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जा0), अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा, सोनभद्र।

16/7

(आर. पी. सिंह)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)